शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र. / रा.शि.के. / मूल्याकंन / कक्षा 5,8 वा.मू. / 2022–23 / 5891 भोपाल, दिनांक 10.10.2022

प्रति,

1.) जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले म.प्र.,

2.) जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले म.प्र.,

विषय– कक्षा 5 व 8 परीक्षा सत्र 2022–23 हेतु माध्यमवार भाषा चयन के संबंध में।

संदर्भ– रा.शि.के. का पत्र क्र. / वार्षिक मूल्यांकन / 2022–23 / 5030–31, भोपाल दि. 12.09.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि कक्षा 5 व 8 परीक्षा हेतु संदर्भित पत्र की कंडिका 2.4 में माध्यमवार भाषा चयन के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

इस संबंध में जिलों द्वारा अभी भी संशय की स्थिति है अतः यहां स्पष्ट किया जाता है कि छात्र जिस माध्यम का चयन करता है वह भाषा ही संबंधित की प्रथम भाषा होगी। माध्यमवार भाषा चयन को निम्नानुसार सारणी में भी स्पष्ट किया गया है–

माध्यमवार भाषा चयन कक्षा 5 हेतु सारणी

माध्यम	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	मराठी
प्रथम भाषा	हिन्दी विशिष्ट	अंग्रेजी विशिष्ट	उर्दू विशिष्ट	मराठी विशिष्ट
द्वितीय भाषा	अंग्रेजी सामान्य	हिन्दी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य
अतिरिक्त भाषा	-	-	हिन्दी सामान्य	हिन्दी सामान्य

अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है लेकिन अतिरिक्त भाषा विषय लेने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा।

माध्यमवार भाषा चयन कक्षा 8 हेतु सारणी

माध्यम	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	मराठी
प्रथम भाषा	हिन्दी विशिष्ट	अंग्रेजी विशिष्ट	उर्दू विशिष्ट	मराठी विशिष्ट
द्वितीय भाषा	अंग्रेजी सामान्य	हिन्दी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य
तृतीय भाषा	संस्कृत / उर्दू / मराठी	संस्कृत / उर्दू / मराठी	हिन्दी सामान्य	हिन्दी सामान्य

भाषा चयन की एण्ट्री पोर्टल पर भी उपरोक्त समान पैटर्न पर ही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प का चयन नहीं किया जा सकेगा।

10/10/2022

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र. / रा.शि.के. / मूल्याकंन / कक्षा 5,8 वा.मू. / 2022–23 / 5892 भोपाल, दिनांक 10.10.2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त संकुल प्राचार्य, शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
8. बी.आर.सी.सी., समस्त विकासखण्ड म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

10/10/2022

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल